

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 571/गोपनीय/2020  
दो-2-1/2020


जबलपुर, दिनांक 08 जून, 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 12 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, श्री वीरेन्द्र एस0 पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को, उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त, खण्डवा जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री वीरेन्द्र एस0 पाटीदार को पूर्णतः अस्थायी रूप से सत्र न्यायालय, खण्डवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, प्रभारी सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

उक्त व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी रूप से कोविड-19 के संक्रमण के चलते तथा खण्डवा मुख्यालय पर कोई भी न्यायाधीश कार्य पर उपलब्ध न होने के कारण आगामी आदेश तक की अवधि के लिए की जा रही है, उक्त अवधि में जिला एवं सत्र न्यायालय, खण्डवा के कार्य का संचालन जिला न्यायालय स्थापना मुख्यालय बुरहानपुर से किया जावेगा।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

  
08/06/2020  
\* (राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 572/गोपनीय/2020  
दो-2-1/2020

जबलपुर, दिनांक 08 जून, 2020

प्रतिलिपि:-


1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. श्री वीरेन्द्र एस0 पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक की अवधि के लिए की गई है।

वे कृपया श्रीमती सीता कनोजे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हरसूद से, उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त, तहसील खण्डवा एवं पांधाना से संबंधित आवश्यक सिविल एवं दांडिक न्यायिक कार्यों का, जिला मुख्यालय, खण्डवा पर पदस्थ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अथवा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1/ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के क्वारांटीन अवधि पूर्ण कर सेवा पर लौटने तक, कार्य संपादन कराया जाना सुनिश्चित करें।

6. श्रीमती सीता कनोजे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, हरसूद जिला खण्डवा को सूचनार्थ एवं इस पृष्ठांकन के सरल क्रमांक 5 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु अग्रेषित।
7. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर/ खण्डवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, \_\_\_\_\_ को सूचनार्थ अग्रेषित।
9. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
  - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/ इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ सदस्य सचिव (एस.सी.एम.एस.)/ रजिस्ट्रार/ सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (7) संचालक/ अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
10. रजिस्ट्रार (ई0)/ लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
11. रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
12. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

13. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
14. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
15. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
16. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

  
\* (राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल